छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002

क्रमांक 1425 /एल-8-4/2010/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन/योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी/वित्त/विधि एवं विधायी कार्य/गृह/जेल/लोक निर्माण/सामान्य प्रशासन/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आवास एवं पर्यावरण/जल संसाधन/महिला एवं बाल विकास/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/संस्कृति विभाग

विषय:- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान हेतु राज्य उच्च अधिकार समिति की प्रथम बैठक दिनांक **23 सितंबर, 2010** का कार्यवृत्त ।

--0--

विषयांतर्गत राज्य उच्च अधिकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2. तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश, राशि की विमुक्ति एवं अन्य संबंधित जानकारी वित्त विभाग की वेबसाईट http://cgfinance.nic.in पर उपलब्ध है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

13/10/10

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

पृ.क्र. 1426 /एल-8 4/2010/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि-

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक नं. -11, 5 वी मंजिल, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ।
2. स्टाफ आफिसर, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर ।

13/10/10

शोध अधिकारी
वित्त विभाग

13-fc.doc

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 23/09/2010 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्राप्त अनुदान के उपयोग व क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य उच्च अधिकार समिति की प्रथम बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

2. बैठक के प्रारंभ में प्रमुख सचिव वित्त द्वारा मुख्य सचिव तथा अन्य सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के संदर्भ में पिछली बैठक में लिये निर्णयों तथा इस अवधि में राज्य को प्राप्त अनुदान व भारत सरकार के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई । तदोपरान्त एजेण्डा अनुसार बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

(1) वन संरक्षण -

मुख्य सचिव ने विभागीय कार्ययोजना को तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा एवं भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुरूप पुनः परीक्षण कर वित्त विभाग को प्रेषित् करने हेतु निर्देश दिया । मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि कार्ययोजना को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी योजना में एक से ज्यादा स्त्रोंत से वित्तीय पोषण न हो । कार्ययोजना वनों में रहने वाले वनवासी को केन्द्रित करते हुए बनाने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही वन विभाग)

(2) यू.आई.डी.-

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि यू.आई.डी. के क्रियान्वयन हेतु भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाय, क्योंकि भारत सरकार से इसके प्रथम किश्त के रूप में राशि ₹ 9.10 करोड़ प्राप्त हो चुकी है ।

(कार्यवाही योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(3) जिला नवोन्मेष निधि–

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलों से प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त किये जावे । इसके अलावा जिलो के प्रभारी सचिव भी अपने विभागों से संबंधित सुझाव जिला कलेक्टरों को दे सकते हैं । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जावें ।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग)

(4) सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार–

मुख्य सचिव द्वारा विभागीय प्रस्ताव में आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ सांख्यिकीय प्रणाली में उन्नयन संबंधी बिन्दुओं को शामिल कर पुनरीक्षित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित् करने हेतु कहा । प्रस्ताव ऐसा हो कि सभी प्रकार के उपयोगी आंकड़े सही समय पर शुद्धता के साथ प्राप्त हो ।

(कार्यवाही योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

(5) कर्मचारी एवं पेंशन डाटा बेस–

समिति द्वारा विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया । समिति ने यह भी निर्देश दिये कि यदि आवश्यक हो तो विभाग किसी अच्छे परामर्शदाता की सेवाऐं तथा एक अच्छा एप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार कराने पर भी विचार करे ।

(कार्यवाही वित्त विभाग)

(6) न्याय वितरण में सुधार –

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि तेरहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर तदानुसार कार्ययोजना तैयार कर राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावें ।

(कार्यवाही विधि एवं विधायी कार्य विभाग)

(7) आपदा राहत निधि/ क्षमता निर्माण –

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि आपदा प्रबंधन संस्थान बनाते समय सभी प्रकार के आपदा के रोकथाम करने हेतु प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था किया जावें । विभागीय कार्ययोजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

(8) नगरीय निकायों को अनुदान–

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि तेरहवां वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान से प्राप्त राशि विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के लिये अपर्याप्त है, अतः विभाग अपनी कार्ययोजना में उन्हीं कार्यों को शामिल करे जिस हेतु राशि समय पर व्यय की जा सके । निर्धारित अवधि में संपूर्ण राशि का उपयोग हो सके, इस प्रकार कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र कार्यवाही की जावें ।

(कार्यवाही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(9) पंचायत निकायों को अनुदान–

मुख्य सचिव द्वारा विभाग को भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, साथ ही विभागीय कार्ययोजना में स्वच्छता कार्यक्रम को शामिल करने पर भी विचार करने के लिये कहा गया ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(10) नया रायपुर का विकास –

मुख्य सचिव द्वारा विभागीय प्रस्ताव को अनुदान अवधि में प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण राशि के अनुरूप राशि का समय पर उपयोग किया जाने हेतु प्रारंभिक तैयारी तुरंत करने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही आवास एवं पर्यावरण विभाग)

(11) सड़क/पुल के रख–रखाव–

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि विभाग अग्रिम में कार्ययोजना बनाते हुए योजना का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर लें , तदानुसार भूमि अधिग्रहण

तथा निविदा की कार्यवाही इस वर्ष के अंत तक प्रारंभ कर दें ताकि अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि का व्यय प्रारंभ से ही किया जा सकें ।

(कार्यवाही लोक निर्माण विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(12) जलक्षेत्र प्रबंधन–

राज्य के वित्तीय संसाधन की सीमितता के कारण इस मद में तेरहवें वित्त आयोग की शर्तों का पालन किया जाना संभव नहीं है । अतः अभी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(कार्यवाही जल संसाधन विभाग)

(13) राज्यों के विशिष्ट अनुदान–

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि यद्यपि इस मद में राशि 2011–12 में ही प्राप्त होगी किन्तु सभी संबंधित विभाग अग्रिम में कार्ययोजना बनाते हुए योजना का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदानुसार भूमि अधिग्रहण तथा निविदा की कार्यवाही इस वर्ष के अंत तक प्रारंभ कर दें ताकि अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि का व्यय प्रारंभ से ही किया जा सकें ।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन/महिला एवं बाल विकास/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ गृह/जेल /संस्कृति/आवास पर्यावरण विभाग)

मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दिशा निर्देशों तथा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार सूक्ष्म परीक्षण कर विभागीय कार्ययोजना वित्त विभाग को शीघ्रातिशीघ्र भेजने हेतु निर्देश दिये तथा प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शेष राशि को प्राप्त करने निर्देशित किया गया ।

3. अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुमोदित

मुख्य सचिव

परिशिष्ट–I

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1.	श्री सरजियस मिंज	–	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
2.	श्री नारायण सिंह	–	प्रमुख सचिव, वन
3.	श्री अजय सिंह	–	प्रमुख सचिव, वित्त
4.	श्री एन.के. असवाल	–	प्रमुख सचिव, गृह, जेल
5.	श्री एम.के.राऊत	–	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण
6.	श्री आर.पी.मंडल	–	सचिव, स्कूल शिक्षा
7.	श्री सी.के.खेतान	–	सचिव, जल संसाधन
8.	श्री सुनील कुजूर	–	सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
9.	श्री विकासशील	–	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
10.	श्री सुब्रत साहू	–	सचिव, संस्कृति
11.	श्री अगन सिंह	–	सचिव, ऊर्जा
12.	श्री रविशंकर शुक्ला	–	अतिरिक्त सचिव, विधि
13.	श्री एम.के.त्यागी	–	विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण
14.	श्री अजय पाण्डेय	–	विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास
15.	श्री उमेश अग्रवाल	–	संयुक्त सचिव, ऊर्जा
16.	श्री के.आर.मिश्रा	–	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
17.	डॉ टी.सी.गुप्ता	–	उप सचिव, संस्कृति

विभागाध्यक्ष कार्यालय

1.	श्री एस.के.पासवान	–	महानिदेशक, जेल
2.	श्री अवध बिहारी	–	आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन
3.	श्री आर.एस.विश्वकर्मा	–	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकीय
4.	श्री संजय पिल्ले	–	महानिरीक्षक, पुलिस
5.	श्री संजय शुक्ला	–	आयुक्त, नगरीय प्रशासन
6.	श्री आर.सी.श्रीवास्तव	–	आयुक्त, संस्कृति
7.	श्री एस.के.शुक्ला	–	संचालक, केडा
8.	डॉ. जे.के.उपाध्याय	–	प्रधान मुख्य संरक्षक, वन
9.	श्री एल.के.पाणिग्राही	–	मुख्य अभियंता, एन.आर.डी.ए.
10.	श्री विनोद कुमार लाल	–	महाप्रबंधक, एन.आर.डी.ए.
11.	श्री एस.आर.श्रीवास्तव	–	मुख्य अभियंता, एन.आर.डी.ए.
12.	श्री एम.एस.रत्नम	–	अधीक्षण अभियंता (सिविल), ऊर्जा
13.	श्री बी.एल.ध्रुव	–	संयुक्त संचालक,पंचायत एवं समाज कल्याण